<u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।</u>

CNR No.–UPLP 1200 1588 2026
प्रकीर्ण फौजदारी सं०–82/2026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–101/2026
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

कुन्ती देवी उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी सत्येन्द्र कुमार निवासी ग्राम खुर्रमनगर थाना पसगवां जिला लखीमपुर खीरी।

... ...प्रार्थिनी।

बनाम

1– रमलड़ैते आयु लगभग 24 वर्ष पुत्र प्यारेलाल,
2– सर्वेश आयु लगभग 26 वर्ष पुत्र प्यारेलाल,
3– रामरतन आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र प्यारेलाल,
4– रामदुलारी आयु लगभग 30 वर्ष पत्नी रामरतन,
5– वन्दना आयु लगभग 20 वर्ष पुत्री रामरतन,
6– किशन पाल आयु लगभग 28 वर्ष पुत्र प्यारेलाल,
निवासीगण ग्राम खुर्रमनगर थाना पसगवां जिला लखीमपुर खीरी।

... ...विपक्षीगण।

<u>दिनांकः 04.06.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र दिनांकित 26.05.2026 अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिनी को जरिए विद्वान अधिवक्ता पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी ग्राम खुर्रमनगर थाना पसगवां जिला लखीमपुर खीरी की निवासिनी है। घटना दिनांक 12.05.2026 समय करीब 2 बजे दिन की है कि प्रार्थिनी अपने घर पर थी तथा प्रार्थिनी का पति मजदूरी करने गया तथा तभी गांव के ही रामलड़ैते, सर्वेश, रामरतन पुत्रगण प्यारेलाल, रामदुलारी पत्नी रामरतन, वन्दना पुत्री रामरतन सभी लोग एक राय होकर प्रार्थिनी के दरवाजे पर आये और प्रार्थिनी को मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगे, प्रार्थिनी ने जब गालियां देने से मना किया तो उक्त सभी लोग लाठी डंडा व खुरपी लेकर आये और प्रार्थिनी को लात घूसों से मारने लगे, रामदुलारी पत्नी रामरतन व वन्दना पुत्र रामरतन ने प्रार्थिनी के पेट पर कई लाते मारी जिससे खून का रिसाव होने लगा, रामलड़ैते ने प्रार्थिनी की नाक पर खुरपी मारी जिससे प्रार्थिनी की नाक कट गयी। प्रार्थिनी के चिल्लाने पर गांव के तमाम लोग आ गए, उनके आ जाने पर उक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उक्त लोगों को मारपीट से प्रार्थिनी को गम्भीर चोटें आयी है जिसका इलाज प्रार्थिनी ने करवाया। उक्त विपक्षीगण धमकी देते हैं कि अ०सं०–77/2026 में सुलह करो नहीं तो जहां मिलोगी वहां जान से मार डालूंगा। प्रार्थिनी उक्त लोगों की धमकी से काफी डरी सहमी है तथा उक्त मारपीट से काफी भयभीत है। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी को दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थिनी द्वारा घटना के बाबत एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को दिया था, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब विवश होकर प्रार्थिनी न्यायालय की शरण में आयी है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित एवं आदेशित करने की कृपा की जावे।

प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रार्थिनी द्वारा शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली थाना पसगवां, जिला खीरी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक रसीदें प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना उचौलिया की आख्या दिनांकित 02.06.2026 के अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को वर्णित किया गया है, उन समस्त तथ्यों से प्रार्थिनी भली–भांति परिचित है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि इस प्रकरण की जांच न्यायालय द्वारा स्वयं की जाये। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त मामले की धारा 225 बी०एन०एस०एस० के तहत विवेचना कराई जा सकती है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयन सम्मानित विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (57) ए०सी०सी० 739** एवं **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2001 (43) ए०सी०सी० पेज 50** में दिए गए दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर न्यायालय द्वारा जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस०, परिवाद के रुप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली दिनांक–15.07.2026 को वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

दिनांकः 04.06.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।